

परिशिष्ट क (पैरा 2.1 के लिए संदर्भ)		
रियायत दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को स्वीकार्य है		
क्र. सं.	व्यक्तियों की श्रेणी	रियायत का प्रतिशत तत्व
<b>I</b>		
<b>विकलांग यात्रियों</b>		
1	किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा (ऐस्कार्ट के बिना नहीं यात्रा कर सकते हैं) के साथ विकलांग/पैरालजिक	-- द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी, 3एसी, एसी कुर्सीयान में 75% -- प्रथम एवं द्वितीय एसी में 50% -- राजधानी/ शताब्दी श्रेणी 3एसी एवं एसी कुर्सीयान में 25%
2	अकेले या किसी भी उद्देश्य के लिए एक ऐस्कार्ट के साथ यात्रा नेत्रहीन व्यक्तियों	-- एमएसटी एवं ब्यूएसओ में 50%
3	मानसिक रूप से मंद व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए एक ऐस्कार्ट के साथ यात्रा	-एक ऐस्कार्ट भी रियायत के एक ही तत्व के लिए पात्र है
4	बधिर और मूक व्यक्ति (दोनों एक ही व्यक्ति में एक साथ संवेदनाओं) अकेले या किसी भी उद्देश्य के लिए एक ऐस्कार्ट के साथ यात्रा।	-- द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी में 50% -- प्रथम एवं द्वितीय एसी में 50% -एक ऐस्कार्ट भी रियायत के एक ही तत्व के लिए पात्र है
<b>II</b>		
<b>रोगियों</b>		
5	कैंसर रोगियों अकेले या उपचार के लिए एक ऐस्कार्ट के साथ या आवधिक जांच के साथ यात्रा।	-- द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, एसी कुर्सी यान में 75% -- स्लीपर और 3एसी में 100% -- 1एसी और 2एसी में 50% -एक ऐस्कॉर्ट रियायत के एक ही तत्व के लिए पात्र (स्लीपर और 3एसी को छोड़कर जहां ऐस्कॉर्ट को 75% मिलता है।
6	थैलसेमिया रोगी अकेले या उपचार आवधिक जांच के लिए एक ऐस्कार्ट के साथ यात्रा	-- द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी, 3एसी, एसी कुर्सीयान में 75%
7	हृदय रोगियों अकेले या दिल की सर्जरी के लिए एक ऐस्कार्ट के साथ यात्रा	-- 1एसी और 2एसी में 50%
8	किडनी रोगियों गुर्दा प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए अकेले या एक ऐस्कॉर्ट के साथ	-एक ऐस्कॉर्ट भी रियायत के एक ही तत्व के लिए पात्र है
9	हीमोफिलिया रोगियों-रोग के गंभीर और मध्यम रूप- उपचार/आवधिक जांच के लिए अकेले या एक ऐस्कॉर्ट के साथ यात्रा।	-- द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी, 3एसी, एसी कुर्सी यान में 75% -- एक ऐस्कॉर्ट रियायत के समान तत्व के लिए भी पात्र है।

10	टीबी/ल्यूपस वालगारीश रोगी उपचार आवधिक जांच के लिए अकेले या एक एस्कार्ट के साथ यात्रा	-- द्वितीय श्रेणी, स्लीपर, प्रथम श्रेणी में 75%
11	गैर संक्रामक कुष्ठ रोगी-उपचार आवधिक चेकअप के लिए	-- एक एस्कार्ट रियायत के समान तत्व के लिए भी पात्र है।
12	एड्स रोगी-मनोनित एआरटी केन्द्रों पर उपचार/	-- द्वितीय श्रेणी में 50% -- एमएसटी और क्यूएसटी में 50%
13	अस्थि रोगी-किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	-- एक एस्कार्ट रियायत के समान तत्व के लिए भी पात्र है।
14	(I) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार/आवधिक जांच के लिए यात्रा करने वाले अप्लास्टिक रक्ताल्पता से पीड़ित रोगी।	-- स्लीपर, एसी-2-टायर, 3एसी, एसी कुर्सी यान श्रेणी के मूल किरायों में 50%
15	(I) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार/आवधिक जांच के लिए यात्रा करने वाले सिकल सैल रक्ताल्पता से पीड़ित रोगी।	-- स्लीपर, एसी-2-टायर, 3एसी, एसी कुर्सी यान श्रेणी के मूल किरायों में 50%
III	<b>वरिष्ठ नागरिकों</b>	
16	पुरुष-60 वर्ष और उससे अधिक	-- सभी वर्गों में 40%
	महिला-58 वर्ष और उससे अधिक	-- सभी वर्गों में 50%
	-किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	--राजधानी/शताब्दी/दुरन्तो रेलगाड़ियों में भी
IV	<b>पुरस्कार विजेताओं</b>	
17	60 की आयु के बाद किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा करने वाले विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के प्राप्तकर्ता।	-- पुरुषों के लिए 50% -- महिलाओं के लिए 60% --सभी श्रेणियों और राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी रेलगाड़ियों में भी
18	श्रम पुरस्कार विजेताओं-औद्योगिक कामगारों को उत्पादकता और नवाचार के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%
19	राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक-किसी भी उद्देश्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
20	राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बाल प्राप्तकर्ताओं के साथ माता-पिता को किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
V	<b>युद्ध विधवाओं</b>	
21	युद्ध विधवाओं-किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%

22	आतंकवादियों और उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की विधवाएं को किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%
23	श्रीलंका में कार्रवाई में मारे गए आई.पी.के.एफ. कर्मियों की विधवाएं-किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%
24	आतंकवादियों और उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं-किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%
25	1999 में कारगिल में ऑपरेशन विजय के शहीदों की विधवा किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%
VI	<b>छात्रों</b>	
26	गृहनगर जा रहे छात्र और शैक्षिक भ्रमण:-	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
	-- सामान्य श्रेणी -	-- एमएसटी और क्यूएसटी में 50%
	-- अनु.जाति/अनुजनजाति श्रेणी -	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%
	--बारहवीं कक्षा तक स्नातक और लड़कों तक लड़कियों (मदरसा के छात्रों सहित) घर और स्कूल के बीच (एमएसटी)	-- एमएसटी और क्यूएसटी में 50%
		-- नि:शुल्क द्वितीय श्रेणी एमएसटी
27	ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के छात्रों-अध्ययन दौरे के लिए-साल में एक बार।	-- द्वितीय श्रेणी में 75%
28	प्रवेश परीक्षा-मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि के लिए राष्ट्रीय स्तर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की लड़कियों को प्रवेश परीक्षा	-- द्वितीय श्रेणी में 75%
29	यूपीएससी और केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोगों द्वारा आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा में छात्रों को रियायत।	-- द्वितीय श्रेणी में 50%
30	भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्र-भारत सरकार द्वारा आयोजित शिविरों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए यात्रा करना और छुट्टियों के दौरान ऐतिहासिक और अन्य महत्व के स्थानों का दौरा करना।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
31	35 वर्ष की आयु तक शोध विद्वानों-अनुसंधान कार्य के संबंध में यात्रा के लिए।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
32	कार्य शिविर में भाग लेने वाले छात्र व गैर छात्र	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%

33	गृह और प्रशिक्षण जहाज के बीच यात्रा के लिए कैडेटों और मरीन इंजीनियर्स प्रशिक्षुओं को वाणिज्यिक मरीन के लिए नौवहन/इंजीनियरिंग प्रशिक्षण से गुजरना।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
<b>VII</b>	<b>युवाओं</b>	
34	के राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लेने वाले युवकों:-	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
	(क) राष्ट्रीय युवा परियोजना	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 40%
	(ख) मानव उत्थान सेवा समीति	
35	बेरोजगार युवक:	
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों (अर्थात् केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों, सांविधिक निकायों, नगर निगम, सरकार के अधीन, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र निकाय) में नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेना।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
	(ii) केन्द्र और राज्य सरकार में नौकरियों के लिए साक्षात्कार में भाग लेना।	-- द्वितीय श्रेणी में 100%
		-- स्लीपर श्रेणी में 50%
36	भारत स्काउट्स और गाइड्स-स्काउटिंग ड्यूटी के लिए।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
<b>VIII</b>	<b>किसानों</b>	
37	किसान और औद्योगिक श्रमिक-कृषि/औद्योगिक प्रदर्शनियों की यात्रा के लिए।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%
38	सरकारी प्रायोजित विशेष रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले किसान।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 33%
39	किसान और दुग्ध उत्पादक-बेहतर कृषि/डेयरी सीखने/वर्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की यात्रा	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
40	के वार्षिक संमेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि:	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 50%
	(i) भारत कृषक समाज और	
	(ii) सर्वोदय समाज, वर्धा।	
<b>IX</b>	<b>कलाकारों और खिलाड़ियों</b>	
41	कलाकार-प्रदर्शन के लिए।	-- द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी में 75%
		-- प्रथम और एसी कुर्सी यान, 3एसी, 2एसी में 50%
		-- राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी एसी कुर्सी यान, 3एसी और 2एसी ट्रेनों में 50%
42		-- स्लीपर वर्ग में 75%

	फिल्म टेक्नीशियन-फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित काम के लिए यात्रा	-- प्रथम और एसी कुर्सी यान, 3एसी, 2एसी में 50% -- राजधानी/शताब्दी सहित
43	में भाग लेने वाले खिलाड़ी:	
	(i) अखिल भारतीय और राज्यस्तरीय टूर्नामेंटों	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75%
		-- प्रथम श्रेणी में 50%
	(ii) राष्ट्रीय टूर्नामेंटों	
		-- द्वितीय, स्लीपर श्रेणी में 75%
		-- प्रथम श्रेणी में 50%
44	आईएमएफ द्वारा आयोजित पर्वतारोहण अभियानों में भाग ले रहे व्यक्ति	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75% -- प्रथम श्रेणी में 50%
45	प्रेस कार्य के लिए-केंद्र और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/जिलों के मुख्यालयों को प्रत्यायित प्रेस संवाददाताओं ।	-- सभी श्रेणियों में तथा राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों के सभी समावेशी किरायों में 50%
	जीवनसाथी/साथी/आश्रित बच्चे (18 वर्ष तक)	-- 50% रियायत हर वित्त वर्ष में दो बार
X	<b>चिकित्सा पेशेवरों</b>	
46	डॉक्टरों एलोपैथिक-किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा ।	-- सभी कक्षाओं और राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों में 10%
47	नर्सों और मिडवाइफों-छुट्टी और ड्यूटी के लिए ।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%
XI	<b>अन्य (सम्मेलन, शिविर, पर्यटन आदि)</b>	
48	वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि सामाजिक/सांस्कृतिक/शैक्षिक महत्व के कुछ अखिल भारतीय निकायों की यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%
49	(I) भारत सेवा दल बंगलौर-शिविरों/बैठकों/रैलियों/ट्रेकिंग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%
50	सेवा सिविल इंटरनेशनल के स्वयंसेवक-सामाजिक सेवा के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%
51	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शैक्षिक भ्रमण के लिए यात्रा।	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%
52	सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड और राहत कल्याण एम्बुलेंस कोर, कलकत्ता के सदस्य-एम्बुलेंस शिविरों/प्रतियोगिताओं के लिए	-- द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 25%

---

---

XII	इज्जत एमएसटी	
53	असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 1500/- से अधिक मासिक आय वाले व्यक्तियों को इज्जत एमएसटी अधिकत 100 किलोमीटर तक यात्रा के लिए ।	-- ₹ 25/-

परिशिष्ट - ख (पैरा 2.4 के लिए संदर्भ) डाटा वेयरहाउसिंग और रेल मंत्रालय लेखा निदेशालय से डाउनलोड किए गए आंकड़ों के बीच 2015-16 से 2017-18 के दौरान लिए गए आरक्षित यात्रियों की संख्या और अर्जित राजस्व में अंतर दर्शाने वाला विवरण						
वर्ष	आरक्षित यात्रियों से आय (करोड़ में)			(करोड़ में) वार्षिक सांख्यिकीय विवरण के अनुसार किए गए आरक्षित यात्रियों की संख्या		
	डेटा वेयरहाउस से डाउनलोड किए गए डेटा के अनुसार	एमओएटी के आंकड़ों (वार्षिक सांख्यिकीय विवरण) के अनुसार	आय में अंतर	डेटा वेयरहाउस से डाउनलोड किए गए डेटा के अनुसार	एमओएटी के आंकड़ों (वार्षिक सांख्यिकीय विवरण) के अनुसार	आरक्षित यात्री की संख्या में अंतर
2015-16	23434.49	27766.17	4331.68	54.72	62.18	7.46
2016-17	25176.91	29317.34	4140.49	57.49	62.54	5.05
2017-18	26549.45	30980.42	4430.97	61.10	65.27	4.17
<b>कुल</b>	<b>75160.85</b>	<b>88063.93</b>	<b>12903.14</b> <b>(17.17 प्रतिशत)</b>	<b>173.31</b>	<b>189.99</b>	<b>16.68</b> <b>(9.62 प्रतिशत)</b>

परिशिष्ट ख.1 (पैरा 2.4 के लिए संदर्भ) 2015-16 से 2017-18 के दौरान किए गए आरक्षित यात्रियों की संख्या और अर्जित राजस्व को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।		
वर्ष	वार्षिक सांख्यिकीय विवरणी के अनुसार आरक्षित यात्रियों से आय (करोड़ में)	आरक्षित यात्रियों को वार्षिक सांख्यिकीय विवरण के अनुसार किया जाता है (करोड़ में)
2015-16	27766.17	62.18
2016-17	29317.34	62.54
2017-18	30980.42	65.27
<b>कुल</b>	<b>88063.93</b>	<b>189.99</b>

परिशिष्ट - ग (पैरा 2.5 के संदर्भ में) नमूना चयन दर्शाने वाला विवरण			
क्र. सं.	समस्याओं की जांच की	नमूना आकार	नमूना चयनित
I	पैरा 6.6.1- स्वैच्छिक योजना का क्रियान्वयन	जोन में कोई पांच पीआरएस काउंटर जिसमें एक वाईटीएसके/	<p>मरे [1]: पीआरएस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नासिक रोड, पुणे, नागपुर और वाईटीएसके सविता व्होतकर /पुणे</p> <p>पूतरे: भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कटक, पुरी और वाईटीएसके में पीआरएस 3001 पीएनएस महेश, वीएसकेपी;</p> <p>पूमरे: पटना, राजेंद्र नगर टर्मिनल, गया, बरौनी और दानापुर;</p> <p>पूरे: हावड़ा, सियालदह, भागलपुर, एस्प्लेनेड और महेशतला (बाहर एजेसी);</p> <p>उमरे: इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, आगरा और ग्वालियर</p> <p>उपूरे: छपरा, गोरखपुर, बादशाहनगर, काठगोदाम और छपरा वाईटीकेएस;</p> <p>उसीरे: गुवाहाटी, तिनसुकिया, दीमापुर, किशनगंज और फ्यूटशोलिंग, भूटान में आउट एजेसी;</p> <p>उरे: नई दिल्ली, दिल्ली, एम्स, पीजीआई-चंडीगढ़ और वाईटीएसके दुर्गा ट्रेवल्स;</p> <p>उपरे: बीकानेर, जोधपुर जंक्सन, जयपुर जंक्सन, अजमेर जंक्सन, और वाईटीएसके (1400)-जू;</p> <p>दमरे: सिकंदराबाद, हैदराबाद, काचेगुडा, विजयवाड़ा और चंदानगर वाईटीएसके;</p> <p>दपूमरे: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इतवारी और वाईटीएसके अनिल तिवारी एजेन्सी</p> <p>दपूरे: आरएसबीओ, ओल्ड कोईलाघाट बिल्डिंग, टाटा, रांची और वाईटीएसके: 6066 वी. कामेश्वर, टाटा;</p> <p>दरे: चेंनई सेंट्रल, कोयंबटूर जंक्सन, मदुरै जंक्सन, एर्नाकुलम जंक्सन में पीआरएस और मेडिकल कॉलेज/त्रिवेन्द्रम;</p> <p>दपरे: बंगलौर शहर, येशवंतपुर, मैसूर, हुबली और बेल्लारी;</p> <p>पमरे: जबलपुर, कोटा, हबीबगंज, भोपाल और हबीबगंज वाईटीएसके</p> <p>परे: चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल, बोरिवली, सूरत और अहमदाबाद जंक्सन पर पीआरएस।</p>

ii	पैरा 6.6.2: हमसफर, आदि जैसी गाड़ियों के नए प्रकार का परिचय	समीक्षार्थीन अवधि के दौरान जोन में शुरू की गई हमसफर, सुविधा आदि जैसी सभी नई प्रकार की ट्रेनें	सुविधा एक्सप्रेस:
			पूतरे : 08451/08452, 08401/08402, 08301/08302, 02877/02878, 82353/82354, 82855/82856, 82841/82842, 82831/82832, 82853 सुविधा एक्सप्रेस.
			पूमरे: 22355/22356, 82355/82356 सुविधा एक्सप्रेस
			दपूरे : 02853, 02863, 02839, 02822, 02853, 82801,02863,02822,08402,00610 सुविधा एक्सप्रेस
			दरे:82601,82602,82603,82604,82605, 82606,82607, 82608,82610,82612,82613,82614,82 631,82632, 82633, 82634, 82635, 82636,82638,82641,82802 सुविधा एक्सप्रेस
			हमसफर एक्सप्रेस:
			पूतरे : 22833/22834 एक्सप्रेस
			उपूरे:12571/12572, 12595/12595 एक्सप्रेस
			उसीरे: 12504/12503 एक्सप्रेस
			उपरे: 14715/14716, 22497/22498, 19667/19668, 22985/22986 एक्सप्रेस
			दमरे: 22705/22706 एक्सप्रेस
			एसईसीआर: 22867/22868 एक्सप्रेस
			दमूरे: 22887, 20889 एक्सप्रेस
			परे: 22919/22920, 22913/22914 एक्सप्रेस
			दपरे:12503/12504,22887/22888 , 22833/22834 एक्सप्रेस
			तेजस एक्सप्रेस :
			मरे : 22119/22120 एक्सप्रेस
			महामना एक्सप्रेस:
पमरे : 22163/22164 एक्सप्रेस			
परे : 22903/22904 एक्सप्रेस			

iii	पैरा 6.7.4: चिकित्सा प्रमाणपत्रों पर रियायती टिकटों में विविध अनियमितताएं	जुलाई के लिए चयनित पीआरएस में रियायत की स्वीकृति हेतु 50 चिकित्सा प्रमाण- पत्र 2019।	ऊपर चयनित पीआरएस स्थान
-----	--	--	------------------------